पीठासीन अधिकारी केन्द्र में पधारे हैं
पश्चात् ली पूर्वाह्न 20/6/17

पीठासीन

एस.डी.ओ./एस.डी.एम.

20/6/17 वकुलाय उप0 वहन हेतु मौका चाहा ही पत्रावली दिनांक 11/9/17 को पेश हो।

11/9/17 वकुलाय अभियोजन प्रतिभागी/अभियोजी द्वारा मौका कार्यवाही पूर्वत प्रा0 पत्र पेश किये गये प्रमाण व बहस प्रा0 पत्र दिनांक 7/11/17 को पेश हो।

7/11/17 वकुलाय उप0 प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आधार का पेश किया है कि अब प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहता है प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा स्वयं स्वेच्छा से निरस्त किया है। प्रार्थी की पहचान श्री देवीनन्दन पुत्र एडवोकेट ने की है। अभियोजी पक्ष के एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी तरह से स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक अनुसार होकर नियमानुसार पेश की जाकर दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Identified by me
एडवोकेट